




कार्यपालक अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

बेहमोल कोडरी बगरेह

बनाम

गोपाल कोडरी बगरेह

क्र०/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
06-12-17	<p>अभिलेख सं०-एम.....<u>172</u>/2017 धारा-107 द०प्र०सं० थाना प्रगारी सोनापट्ट के अप्राथमिकी सं०-<u>प.प/17</u> दिनांक-<u>17/11/17</u> प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि <u>सरकारी चापाकल का धानी बन्धन को लेकर समय पत्र में तनाव है।</u></p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रु० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अभिलेख तिथि <u>22-12-17</u> को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। </div> <div style="text-align: center;">  कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। </div> </div>	
22-12-17	<p><u>आभिलेख उपस्थापित / प्रथम पत्र उपस्थित दिनांक पत्र क्रमांक 01 उपस्थित क्रमांक 02 उपस्थित दिनांक 08-01-18 को देखें।</u></p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <u>22/12/17</u> </div>	

तिथि

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

23-07-18

आभिलेख - उपस्थापित । प्रथम पल
 क्रमांक 02, 03 उपस्थित अन्य क्रयितकता
 राजरी दिताय पल क्रमांक 01 उपस्थित
 अन्य अनुपस्थित । उक्त वाद में 6 (छः)
 माह का अवधि छपी है - उकी है
 अर्थात् वाद कालबाधित हो गया है।
 अतः वाद में आभिलेख की कारवाही
 बन्द की जाती है।


 23/7/18